

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर (रसद), राजसमन्द

क्रमांक:- रसद/एफपीएस/विज्ञप्ति/2025-26/2585

दिनांक :- यथा हस्ताक्षर

-: विज्ञप्ति :-

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर, राजस्थान द्वारा उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु जारी दिशा-निर्देश पत्र क्रमांक एफ.17(1)खा. वि./विधि/08 जयपुर, दिनांक 17.03.2016 एवं पत्र क्रमांक एफ.17(5) खा.वि./न्याय/महि.आर./2019 जयपुर, दिनांक 25.11.2020 एवं क्रमांक एफ 17(4)खा.वि./न्याय/2025 दिनांक 10.05.2025 की पालना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3(1) के अन्तर्गत प्राधिकार पत्र जारी किये जाने बाबत जिले में रिक्त/नवसृजित कुल 28 उचित मूल्य दुकानों के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों/संस्थाओं (सहकारी समितियाँ, महिला स्वयं सहायता समूह आदि) से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त एवं नवसृजित उचित मूल्य दुकानों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	नगर निकाय/ तहसील	क्र. सं.	उचित मूल्य दुकान का प्रस्तावित स्थान	ग्राम पंचायत/वार्ड	रिक्त/ नवसृजित	पॉस कोड	आरक्षण स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आमेट शहर	1	आमेट वार्ड 4	वार्ड 4 (पुराना)	रिक्त	24502	महिला आरक्षित
		2	आमेट वार्ड 13,14	वार्ड 13,14 (पुराना)	रिक्त	24503	अनारक्षित
		3	आमेट वार्ड 15,16	वार्ड 15,16 (पुराना)	रिक्त	24499	महिला आरक्षित
	आमेट ग्रामीण	4	लिकी प्रथम	लिकी	रिक्त	4105	अनारक्षित
		5	आगरिया वाड़ा	आगरिया	नवसृजित	—	अनारक्षित
		6	भोप जी का खेड़ा	लिकी	नवसृजित	—	महिला आरक्षित
2	देवगढ़	7	अनोपपुरा	कुन्दवा	रिक्त	13719	अनारक्षित
		8	दुदालिया	माद	नवसृजित	—	अनारक्षित
3	भीम	9	आडावाला	बली	नवसृजित	—	अनारक्षित
		10	नन्दावट	टोगी	रिक्त	29026	अनारक्षित
		11	बांसावरी	दिवेर	रिक्त	31487	अनारक्षित
		12	चाट का गुड़ा	कालागुमान	नवसृजित	—	महिला आरक्षित
4	राजसमन्द	13	अमलोई	राज्यावास	रिक्त	13613	अनारक्षित
		14	खारण्डिया	बोरज	नवसृजित	—	अनारक्षित
		15	बामन टुकड़ा द्वितीय	बामन टुकड़ा	रिक्त	29379	अनारक्षित
5	रेलमगरा	16	कुरज द्वितीय	कुरज	नवसृजित	—	अनारक्षित
		17	मोरा	सकरावास	नवसृजित	—	महिला आरक्षित
6	नाथद्वारा	18	पाखण्ड (रामपुर)	पाखण्ड (रामपुर)	रिक्त	4343	अनारक्षित
		19	झालो की मदार	झालो की मदार	रिक्त	4312	अनारक्षित
7	देलवाड़ा	20	करौली द्वितीय	करौली	नवसृजित	—	अनारक्षित
8	खमनौर	21	मचीन्द	मचीन्द	रिक्त	4332	अनारक्षित
9	कुम्भलगढ़	22	पीपाणा	पीपाणा	रिक्त	27383	अनारक्षित
		23	मजेरा	मजेरा	रिक्त	4145	अनारक्षित
		24	बडगुल्ला	बलीजर	नवसृजित	—	अनारक्षित
		25	उपलावास	कणुजा	नवसृजित	—	महिला आरक्षित
		26	बाणिया टुकड़ा	धनिन	नवसृजित	—	अनारक्षित
		27	गढ़बोर द्वितीय	गढ़बोर	नवसृजित	—	महिला आरक्षित
10	गढ़बोर	28	रिछेड द्वितीय	रिछेड	नवसृजित	—	महिला आरक्षित

उपरोक्त रिक्तियों के सम्बन्ध में विभागीय पत्रांक एफ 17 (0)खा.वि. /विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 द्वारा जारी उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन के दिशा निर्देशों में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 17.03.2016 के दिशा निर्देश तथा विज्ञापित उचित मूल्य की दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट food.raj.nic.in व जिला रसद कार्यालय राजसमन्द में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। उक्त रिक्तियों कमी/वृद्धि/संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियों को भरने/ना भरने के संबंध में कार्यालय का निर्णय सुरक्षित रहेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के पत्रांक एफ017(5)खा.वि./न्याय/महिला आरक्षण 2019 दिनांक 25.11.2020 की अनुपालना में सभी रिक्तियों के लिए 30 प्रतिशत महिलाओं का आरक्षण लागू किया गया है

(अरुण कुमार हसीजा)

I.A.S.

जिला कलक्टर (रसद)
Signature valid

Digitally signed by Arun Kumar Hasija
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.11.26 13:48 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:

18902660

eSign 1.0



क्रमांक:- रसद/एफपीएस/विज्ञप्ति/2025-26/2586-2665
प्रतिलिपि:-सूचनार्थ

दिनांक :- यथा हस्ताक्षर

- 1 माननीया सांसद महोदया, लोकसभा क्षेत्र, राजसमन्द ।
- 2 श्रीमान विधायक महोदय राजसमन्द, कुम्भलगढ़, भीम, नाथद्वारा
- 3 श्रीमान जिला प्रमुख महोदय राजसमन्द ।
- 4 श्रीमान् शासन सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर ।
- 5 अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर ।
- 6 उपायुक्त एवं उपशासन सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर ।
- 7 एसीपी खाद्य विभाग जयपुर को उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट food.raj.nic.in पर अपलोड हेतु ।
- 8 जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी राजसमन्द को जनहित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ ।
- 9 उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द/आमेट/भीम/देवगढ़/कुम्भलगढ़/रेलमगरा/नाथद्वारा ।
- 10 उपरजिस्टार सहकारी समितियाँ राजसमन्द ।
- 11 प्रवर्तन अधिकारी राजसमन्द ।
- 12 विकास अधिकारी/तहसीलदार/प्रवर्तन निरीक्षक राजसमन्द/आमेट/भीम/देवगढ़/कुम्भलगढ़/रेलमगरा/नाथद्वारा/खमनोर/देलवाड़ा/गढबोर/कुंवारिया ।
- 13 प्रबन्धक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नि०लि० राजमन्द ।
- 14 संबंधित ग्राम पंचायत व संरपच.....
- 15 वितरण शाखा/केश शाखा/जिला कलक्टर नोटिस बोर्ड/कार्यालय नोटिस बोर्ड
- 16 रक्षित पत्रावली

जिला कलक्टर (रसद)
राजसमन्द

Signature valid

Digitally signed by Anil Kumar Hasija
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.11.21 18:13:48 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18902660
eSign 1.0

उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य पात्रताएं निम्नानुसार

होगी:-

1. शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान हेतु आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करना है अर्थात् उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्ड्स में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए।
ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के मामलों में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है, जिस पंचायत में उचित मूल्य की दुकान स्थित है। एक से अधिक योग्य आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की स्थिति में वरीयता उसी वार्ड के निवासी को दी जाएगी जिसमें उचित मूल्य की दुकान स्थित है।
उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदकों की आयु 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए अर्थात् उचित मूल्य दुकान के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।
2. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं कम्प्यूटर में **Rajasthan Knowledge Corporation Limited (RKCL)** या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। यदि उचित मूल्य की दुकानों के आवेदकों में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता है तो ऐसी स्थिति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों के प्रार्थना पत्रों को भी आवंटन हेतु स्वीकार किया जा सकेगा। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हो तो आवेदन के साथ आवेदक से यह घोषणा भी ली जाएगी कि वह चयनित होने के 06 माह की अवधि में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद ही प्राधिकार-पत्र दिया जावेगा।
3. आवेदक को अन्नपूर्णा भण्डार हेतु राज्य द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करने होंगे। यदि आवेदक पहले से ही अन्नपूर्णा भण्डार के मापदण्डों को पूर्ण करता है, तो उसकी पुष्टि में दुकान का नक्शा-स्वामित्व-किरायानाम आदि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
4. उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरुष/महिला के दिनांक 01.01.2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित 02 से अधिक संतान नहीं होनी चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात 02 से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नहीं होगा। उचित मूल्य दुकान आवंटन होने के पश्चात भी यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार के तीसरी संतान होती है तो ऐसे उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्तनीय होगा, परन्तु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही संतान है तथा पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव के एक से अधिक संतान पैदा हो जाती है तो संतानों की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानों को एक इकाई की समझा जावेगा।
5. आरक्षित उचित मूल्य दुकानों के लिए संबंधित श्रेणी का आवेदक ही आवेदन हेतु पात्र होगा।
6. प्रत्येक आवेदक अथवा पदाधिकारी(महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति) को अण्डरटेकिंग हेतु कार्यशील शौचालय (Functional Toilet) है। उक्त आवंटन के लिए अनिवार्य अर्हता होगी।

RajKaj Ref No.:
18902660
eSign 1.0

Signature valid
Digitally signed by Anil Kumar Hasija
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.11.21 18:13:48 IST
Reason: Approved

7. आवेदक को दुकान आवंटन उपरांत जिस वितरण स्थल पर वितरण हेतु अधिकृत किया जाएगा वह स्थान कम से कम 30 फुट रोड़ पर स्थित होना चाहिए तथा उसका आकार 10 फीट x 20 फीट = 200 फीट न्यूनतम होना आवश्यक है।

● आवेदन का तरीका :-

1. आवेदन पत्र दिनांक 20.11.2025 से 03.12.2025 तक कार्यालय समय में जिला रसद अधिकारी कार्यालय, राजसमन्द (स्थान - कलेक्ट्रेट भवन, राजसमन्द) से प्राप्त किए जा सकेंगे एवं भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 15.12.2025 को सायं 05.00 बजे तक जिला रसद कार्यालय, राजसमन्द में प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
2. आवेदन पत्र का मूल्य 100 रुपये निर्धारित किया गया है जो भारतीय पोस्टल ऑर्डर (IPO जिला रसद अधिकारी, राजसमन्द के नाम जारी) के द्वारा जमा करवाया जा सकेगा। किसी अन्य स्थान यथा टाइपिस्ट, नोटरी, बुक स्टॉल से प्राप्त किए गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जावेंगे।

● आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज :-

01. शैक्षणिक योग्यता(स्नातक) संबंधी प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।
02. आरकेसीएल (आरएस-सीआईटी) कम्प्यूटर प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र। उक्त प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में शपथ पत्र संलग्न करना होगा, जिसमें यह उल्लेख होगा कि दुकान आवंटन होने के अधिकतम 06 माह के भीतर आरकेसीएल (आरएस-सीआईटी) का 03 माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
03. आवेदक सहकारी समिति/महिला स्वयं सहायता समूह/निकाय होने की स्थिति में उनके प्रबंधक/सचिव की कम्प्यूटर दक्षता एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे।
04. आवेदक सहकारी समिति/महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम पंचायत होने की स्थिति में संबंधित बोर्ड की अभिशंषा का पत्र प्रस्तुत करना होगा।
05. निजी आवेदकों के लिए 01 लाख रुपये का हैसियत प्रमाण-पत्र जो संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी किया जायेगा।
06. महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कार्यक्रम अधिकारी महिला अधिकारिता की अभिशंषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25 हजार रुपये होने संबंधी प्रमाण-पत्र की प्रति एवं महिला समूह का गठन कम से कम तीन वर्ष से पूर्व का हो समूह का कम से कम तीन वर्ष पूर्व का बैंक खाता हो तथा समूह के सदस्य तीन वर्षों से आंतरिक लेनदेन में संलग्न हो।
07. प्रस्तावित दुकान का नक्शा दो प्रतियों में उपलब्ध करवाना होगा जो संबंधित क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी/निरीक्षक द्वारा संवीक्षा के समय प्रमाणित किया जावेगा।
08. आवेदक द्वारा निम्न बिन्दुओं को अंकित करते हुए एक घोषणा पत्र दिया जावेगा:-
 - a. आवेदक पूर्व में आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट के तहत दण्डित नहीं हुआ है।
 - b. आवेदक द्वारा दुकान का संचालन स्वयं किया जावेगा।
 - c. आवेदक के परिवार में किसी सदस्य यथा, माता-पिता, पुत्र एवं पुत्री के नाम से पूर्व में कोई दुकान नहीं है।

d. आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

e. आवेदक बालिग एवं स्वस्थ चित है, चाल-चलन अच्छा है तथा कभी दिवालिया घोषित नहीं हुआ है।

f. आवेदक द्वारा दिनांक 01.01.2015 के बाद दो से अधिक संतान नहीं होने का स्पष्ट कथन किया जायेगा।

09. मूल निवास प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।

10. आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति।

11. राशनकार्ड की प्रमाणित प्रति।

12. मतदाता परिचय पत्र की प्रमाणित प्रति।

● **चयन प्रक्रिया एवं प्राथमिकता :-**

आरक्षित स्थानों के लिए संबंधित श्रेणी का आवेदक ही पात्र होगा। अनारक्षित स्थानों में चयन करने में प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार होगा:-

(क) **प्रथम वरीयता** (संस्थागत) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम में आधार पर चयन किया जायेगा:-

1. ग्राम सेवा सहकारी समिति/लेम्पस(वृहत्तर क्षेत्रीय बहुउद्देशीय सहकारी समिति)/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जो कि सहकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है।
2. महिला स्वयं सहायता समूह जो राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है। आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह को 03 वर्ष का कार्यानुभव हो।
3. ग्राम पंचायत /निगमित निकाय।

नोट:- यदि क्रम संख्या 1, 2 एवं 3 के अन्तर्गत एक ही आवेदन प्राप्त होता है तो उसे प्राधिकार पत्र जारी किया जा सकेगा। इस श्रेणी के दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर ही आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपनायी जावेगी।

(ख) **द्वितीय वरीयता** व्यक्तिगत (प्रथम वरीयता में आवेदन उपलब्ध नहीं होने पर)

1. बेरोजगार
 2. निःशक्तजन
 3. महिलायें
- (क) शहीद की विधवा (वीरांगना) (ख) विधवा (ग) परित्यक्ता
4. भूतपूर्व सैनिक
 5. अन्य पात्र बेरोजगार

Signature valid

Digitally signed by Anur Kumar Hasija
Designation : Collector & District
Magistrate
Date: 2025.11.20 18:13:48 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
18902660
eSign 1.0